

राजस्थान सरकार
गृह (मुख्य सतर्कता आयुक्त) विभाग

क्रमांक प.60(1)सी.वी.सी./03

जयपुर, दिनांक 01.06.2004

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. महानिदेशक पुलिस, ए.सी.बी., राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलेक्टर/जिला पुलिस अधीक्षक

परिपत्र

विषय :- पी.सी. एक्ट, 1988की धारा 19 में जारी की गई अभियोजन स्वीकृति के संबंध में।

विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा के दौरान यह तथ्य ध्यान में आया है कि लोकसेवक के विरुद्ध पी.सी. एक्ट की धाराओं में दर्ज प्रकरणों में ए.सी.बी. के अनुसंधान के बाद नियुक्ति अधिकारी/सक्षम अधिकारी जो लोकसेवक को पद से हटाने में सक्षम है के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 19 के अर्न्तगत अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी जाती है। लेकिन इसके बाद भी कुछ मामलों में विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी द्वारा इस प्रकार की जारी की गई अभियोजन स्वीकृति पर पुनर्विचार कर उसमें वापस लिये जाने के प्रस्ताव किये जाते हैं।

पी.सी. एक्ट की धारा 19 में इस प्रकार जारी अभियोजन स्वीकृति को पुनर्विचार कर वापस लिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके संबंध में गुजराज उच्च न्यायालय के निर्णय के.वी. जोसफ बनाम गुजरात राज्य, 1997 (सी.आर.एल.जे. 2897) में यह निर्धारित किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी को या मुख्य सतर्कता आयुक्त को अभियोजन स्वीकृति जो कि धारा 19 में एक बार जारी कर दी गई है, उसे वापस लिये जाने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार की जारी अभियोजन स्वीकृति के बाद संबंधित न्यायालय में ही आरोप पत्र दाखिल होने के बाद न्यायालय के समक्ष ही विचार किये जाने की व्यवस्था हैं और अन्य कोई विकल्प इस विषय में विभाग के पास नहीं है।

अतः सभी प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों को उक्त निर्णयों से अवगत कराते हुये निर्देशित किया जाता है कि जिन मामलों में सक्षम स्तर से अभियोजन स्वीकृति दी जा चुकी है, उन मामलों में अभियोजन स्वीकृति पर पुनर्विचार नहीं किया जावे तथा पुनर्विचार के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जावे।

एस.डी.

(सुरेन्द्र कुमार)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, न्याय, परिवहन विभाग,
एवं पदेन मुख्य सतर्कता आयुक्त